प्रिलिम्स फैक्ट्स : 01 फरवरी, 2021

drishtiias.com/hindi/printpdf/prelims-facts-01-february-2021

स्टार्स परियोजना

STARS Project

हाल ही में शिक्षा मंत्रालय की स्टार्स परियोजना (Strengthening Teaching-Learning and Results for States- STARS) के क्रियान्वयन को वित्तीय मदद प्रदान करने हेतु आर्थिक मामलों के विभाग और **विश्व बैंक** के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं।

> इसके पूर्व केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने 14 अक्तूबर, 2020 को **स्टार्स परियोजना** के प्रस्ताव का अनुमोदन किया था।

प्रमुख बिंदु

- **लागत:** स्टार्स परियोजना की कुल लागत 5718 करोड़ रुपए है।
  - पाँच वर्ष की अवधि में विश्व बैंक द्वारा इस परियोजना के लिये 50 करोड़ डॉलर (लगभग 3700 करोड़ रुपए) की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  - शेष राशि योजना में भागीदारी कर रहे राज्यों द्वारा उनके अंश के रूप में दी जाएगी।

- **क्रियान्वयन:** स्टार्स परियोजना का क्रियान्वयन शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत नई केंद्रीय सहायता प्राप्त योजना के रूप में किया जाएगा।
    - **स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग** इस परियोजना के लिये राष्ट्रीय स्तर पर **मुख्य क्रियान्वयन एजेंसी** के रूप में कार्य करेगा।
    - **राज्य स्तर पर परियोजना का क्रियान्वन** समग्र शिक्षा की समेकित **राज्य क्रियान्वयन सोसाइटी के माध्यम से** किया जाएगा।
    - स्टार्स परियोजना **समग्र शिक्षा** के अंतर्गत मौजूदा संरचना में ही क्रियान्वित की जाएगी।
- **परियोजना में शामिल राज्य:** इस परियोजना में छह राज्य- हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और ओडिशा शामिल हैं।

    परियोजना में शामिल राज्यों को शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के कदमों के लिये सहायता दी जाएगी।
- स्टार्स के तहत विश्व बैंक की प्रस्तावित सहायता मूलत: **परिणाम-आधारित वित्तीय उपकरण** के रूप में है जिसे **प्रोग्राम फॉर रिजल्ट्स (PRR)** कहते हैं।
- **परियोजना का लाभ:** स्टार्स परियोजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विभिन्न अनुशंसाओं जैसे- आरंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और आधारभूत शिक्षण, शिक्षण आकलन सुधार प्रणाली, शिक्षक विकास और व्यवसायपरक शिक्षा को लागू करने में सहायक बनेगी।